रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2676] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2016/कार्तिक 20, 1938
No. 2676] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2016/KARTIKA 20, 1938

गृह मंत्रालय

(स्वतंत्रता सेनानी एवं पुर्नवास प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2016

का.आ. 3437(अ).—जबकि, निष्क्रांत संपत्तियों के प्रशासन का निपटान करने के प्रयोजनार्थ, केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित अधिनियम अधिनियमित किये थे, नामत: : -

i. निष्क्रांत संपत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31);

ii. विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1950 (1950 का 44);

iii. निष्क्रांत हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951 का 64);

iv. विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अधिनियम, 1954 (1954 का 12); और

v. विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) अथवा;

और जबकि, उक्त अधिनियम विस्थापित व्यक्ति दावे एवं अन्य कानून निरसन अधिनियम, 2005 (2005 का 38) का अधिनियमन करके निरस्त हो गए;

और जबकि, विस्थापित व्यक्ति और अन्य कानून निरसन अधिनियम, 2005 (2005 का 38) में विशेष व्यावृत्ति खंड और इस प्रकार सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के प्रावधान नहीं हैं;

और जबकि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों को उक्त निरसित अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकारों को प्रत्यायोजन करना आवश्यक हो गया है ताकि वे, ऐसे निरसन के होते हुए भी लंबित दावों का निपटान कर सकें।

अब, इसलिए, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करती है जैसाकि उक्त सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत सदृश प्रविष्टि, उसके कॉलम (3) के अंतर्गत सदृश प्रविष्टि में यथा उल्लिखित कानून के प्रावधानों के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, नामत: :-

सारणी

क्र.सं.	**नियुक्ति/प्रत्यायोजित शक्ति की प्रकृति**	**अधिनियम के प्रावधान जिनके अंतर्गत नियुक्ति की गई/शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं**	**केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों का पदनाम जो नियुक्त किये गए अथवा जिन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य बंदोबस्त आयुक्त	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (1)	संयुक्त सचिव, स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
2.	संयुक्त मुख्य बंदोबस्त आयुक्त	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (1)	उप सचिव अथवा निदेशक, स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
3.	बंदोबस्त आयुक्त	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (1)	अवर सचिव (पुनर्वास), स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
4.	बंदोबस्त अधिकारी	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (1)	संबंधित अनुभाग अधिकारी, (पुनर्वास एवं बंदोबस्त संगठन) स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
5.	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 23, 24, 25 और 28 के अंतर्गत मुख्य बंदोबस्त आयुक्त की शक्तियां	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34(2)	बंदोबस्त आयुक्त, स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
6.	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 7 और 8 के अंतर्गत बंदोबस्त आयुक्त की शक्तियां	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34(3)	बंदोबस्त अधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
7.	अभिरक्षक जनरल	निष्क्रांत संपत्ति अधिनियम, 1950 (1950 का 3) का प्रशासन की धारा 5	संयुक्त सचिव, स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

8.	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 32 और 33 और विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पनर्वास) नियम, 1955 के नियम 66 के अंतर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियां	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 34 (1)	उप सचिव अथवा निदेशक, (पुनर्वास) अथवा संयुक्त मुख्य बंदोबस्त आयुक्त स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
9.	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 23, 24, 25 और 28 के अंतर्गत मुख्य बंदोबस्त आयुक्त की शक्तियां	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34(2)	अपर सचिव अथवा विशेष सचिव (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
10.	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 33, के अंतर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियां	विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34(1)	प्रधान सचिव अथवा सचिव (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

[फा. सं. 12019/404/आरडी/विविध/2006-IV]

डॉ. आर. के. मित्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(FREEDOM FIGHTER AND REHABILITATION DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2016

S.O. 3437(E).—Whereas, for the purpose of dealing with the administration of evacuee properties, the Central Government had enacted the following Acts, namely :—

(i) the Administration of Evacuee Property, 1950 (31 of 1950);

(ii) the Displaced Persons (Claims) Act, 1950 (44 of 1950);

(iii) the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (64 of 1951);

(iv) the Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (12 of 1954); and

(v) the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) or;

And whereas, the aforesaid enactments stand repealed by enacting the Displaced Persons Claims and other Laws Repeal Act, 2005 (38 of 2005);

And whereas, the Displaced Persons Claims and other Laws Repeal Act, 2005 (38 of 2005) does not contain specific savings clause and thus the provisions of section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897);

And whereas, it has become necessary to delegate powers to the officers of the Central Government, State Governments and the Government of National Capital Territory of Delhi to exercise powers under various provisions of the aforesaid repealed Acts to enable them to dispose of pending claims, notwithstanding such repeal;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby appoints the officers of the Central Government, State Governments and the Government of National Capital Territory of Delhi, specified in column (4) of the Table below, to exercise such powers as specified in the corresponding entry under column (2) of the said Table, under the provisions of the law as specified in the corresponding entry under column (3) thereof, namely:-

TABLE

Sl. No.	Nature of Appointment/ Power Delegated	Provisions of the Act under which appointment made /power delegated	Designation of officer of the Central/State Government/ UT appointed or to whom powers are delegated
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Settlement Commissioner	Sub-section (1) of section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954)	Joint Secretary, Freedom Fighter and Rehabilitation Division, Ministry of Home Affairs, Government of India.
2.	Joint Chief Settlement Commissioner	Sub-Section (1) of section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954)	Deputy Secretary or Director (Rehabilitation), Freedom Fighter and Rehabilitation Division, Ministry of Home Affairs, Government of India.
3.	Settlement Commissioner	Sub- section (1) of section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954)	Under Secretary (Rehabilitation), Freedom Fighter and Rehabilitation Division, Ministry of Home Affairs, Government of India
4.	Settlement Officer	Sub Section(1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954)	Concerned Section Officer (Rehabilitation & Settlement Organization), Freedom Fighter and Rehabilitation Division, Ministry of Home Affairs, Government of India
5.	Powers of Chief Settlement Commissioner under section 23, 24, 25 and 28 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954)	Section 34(2) of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954)	Settlement Commissioner, Freedom Fighter and Rehabilitation Division, Ministry of Home Affairs, Government of India
6.	Powers of Settlement Commissioner under section 7 and 8 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954. (44 of 1954)	Section 34(3) of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954)	Settlement Officer, Freedom Fighter and Rehabilitation Division, Ministry of Home Affairs, Government of India
7.	Custodian General	Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950)	Joint Secretary, Freedom Fighter and Rehabilitation Division, Ministry of Home Affairs, Government of India.
8.	Powers of Central Government under section 32 and 33 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 and Rule 66 of the D.P.(C&R) Rules, 1955.	Section 34(1) of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954	Deputy Secretary or Director (Rehabilitation) or Joint Chief Settlement Commissioner, Freedom Fighter and Rehabilitation Division, Ministry of Home Affairs, Government of India
9.	Powers of the Chief	Section 34(2) of the Displaced	Additional Secretary or

	Settlement Commissioner under section 23, 24, 25 and 28 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954.	Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954)	Special Secretary, (Land and Building), Government of National Capital Territory of Delhi
10.	Powers of the Central Government under section 33 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954.	Section 34(1) of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954	Principal Secretary or Secretary, (Land and Building), Government of National Capital Territory of Delhi

[F. No. 12019/404/RD/Misc/2006-IV]

Dr. R. K. MITRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.11.11 20:25:00 +05'30'